

(3)

① ⑤

संख्या: 2488 / 111-2/08-03(मु0मं0घो0)/2008

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 25 जुलाई, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से सम्बन्धित नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित 31 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विवरणानुसार कुल ₹0 3.10 लाख (₹0 तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

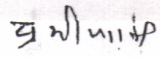
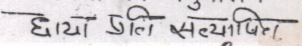
2- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित कार्यों हेतु प्रचलित व्यवस्था एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप प्रारम्भिक आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से आगणन की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करते हुये स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिये सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कराली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

5- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य कराते समय टेंडर तद्विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेंडर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
ब्रा० ख० लो० वि० वि०
रानीखेत

3286 4 2517
निर्माण वि० प्र० बजट/प्र० वरि
2517

श्रीमती निर
26/07/08

(4)

7/1/18

(2)

(8)

5049
7-8-08

-2-

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि निकृष्ट हुई हो तो उसका विवरण शासन को देकर अबशेष धनराशि का ही कोषागार से व्यय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राज्य सेक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-673/XXVII (2)/08 दिनांक 25 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- 31 कार्यों की सूची।

भवदीय,

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

संख्या:- 2483 (1)/11(2)/08-03(मु0म0घ00)/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा प्रथम, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, मांजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कुमायू क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/पौड़ी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 8- लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

अल्मोड़ा
पत्रांक: 3284/199 (प-1/08) दि. 5/8/08
प्रतिलिपि स. मा. प्रथम, हरीप को
शासन के अन्तर्गत कार्य के अन्तर्गत
अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन
अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन/ गार्ड बुक।
अल्मोड़ा

(5)

(7)

4 (3)

शासनादेश संख्या: 2488/111-2/08-03(मु0मं0घो0)/2008 दिनांक 25 जुलाई, 2008 का संलग्नक

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	अनुमानित लागत (रु०लाख में)	प्रस्तावित टोकन धनराशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	पडसोली, चैताधार, कोटा, पिंजोली, आसों मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य।	10.00	350.00	0.10
2.	विधान सभा क्षेत्र भिकियासैण के अन्तर्गत रामगंगा नदी पर नौला से मसोली 80 मीटर झूला पुल का निर्माण।	80 मीटर 0.60 किमी० पहुँच मार्ग सहित।	173.16	0.10
3.	जनपद अल्मोड़ा में मंहग्यारी विरोट नर्मदेश्वर स्थान पर विनोद नदी पर झूला पुल का निर्माण।	75 मीटर	140.62	0.10
4.	जनपद अल्मोड़ा में सबोली बैंड से तोलबुधानी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	24.00 (घोषणा में 20 किमी०)	840.00	0.10
5.	ताडीखेत पीपली मन्जूरखान हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण।	10.00	263.00	0.10
6.	जनपद अल्मोड़ा में क्वारब से कोसी तक (कोसी नदी के किनारे) बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।	15.00	525.00	0.10
7.	जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय से बेतालेश्वर मन्दिर होते हुये विकास भवन को जोड़ने वाले वाहन मार्ग का निर्माण।	06.00	210.00	0.10
8.	अल्मोड़ा-पनार घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण। (किमी० 5 से 87 तक एवं किमी० 81 में 36 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु व किमी० 82 में 15 मीटर स्पान आ०सी०सी० सेतु सहित)	83.00	4665.24	0.10
9.	जनपद रुद्रप्रयाग में जखोली-भीरी- गुप्तकाशी मोटर मार्ग से डोभा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	03.00	110.25	0.10
10.	बागेश्वर-कपकोट-सोण मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं हॉटमिक्स का कार्य।	38.00	979.67	0.10
11.	ढालखाल अन्दरसो पल्लीगांव मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य।	8.00	280.00	0.10
12.	जनपद पौड़ी गढ़वाल में रथुवाढाव-हल्दूखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण।	09.00	216.00	0.10
13.	जनपद पौड़ी गढ़वाल में धारकोट से जुलेडी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	20.00	700.00	0.10
14.	ढौटियाल में प्लेन नदी पर 60 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	60 मीटर	297.45	0.10
15.	जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत टिपरी से विल्यासौड पैदल पुल का निर्माण।	100.00	2079.00	0.10
16.	जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट में गणेशनगर-बिजार को जोड़ने हेतु झूला पुल का निर्माण।	90.00 मीटर	187.20	0.10
17.	जोशीमठ में सिंहधार-नरसिंह मंदिर बाईपास मोटर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य।		231.93	0.10

सहायक अभियन्ता द्वितीय
ब्रा० ख० लो० नि० वि०
रानीखेत

अभि. २

(6)

(8)

- 2 -

18.	जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसु कडोला में भागीरथी नदी पर पैदल सेतु का निर्माण (पहुँच मार्ग सहित)	125.00 मी०	271.25	0.10
19.	जनपद उत्तरकाशी में डुण्डा-धनारी-सेम-मुखेम मो० मार्ग का पट्टी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक विस्तार।	10.00	367.50	0.10
20.	लाटा सौरा में भागीरथी नदी पर मोटर पुल का निर्माण कार्य।			0.10
21.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में ममणी-जखोली-चौरा मार्ग का डामरीकरण कार्य।	05.00	105.00	0.10
22.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सिराई-नंदवाण गांव-भटवाड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	06.00	220.50	0.10
23.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में तिमली-मरोड़ा-किरोड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण।	04.00	147.00	0.10
24.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सिद्धसौड-टाट-पाली-सिमली मोटर मार्ग का नव निर्माण।	03.00	110.25	0.10
25.	जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में बन्दरतौली-मावाणगांव-बरसारी मोटर मार्ग का नव निर्माण।	04.00	147.00	0.10
26.	जनपद उत्तरकाशी में राजगढी में गंगाटाडी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य।	06.00	151.20	0.10
27.	जनपद उत्तरकाशी में चांदा डोखरी से भरदार होते हुये खनारगाड तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	05.00	183.75	0.10
28.	सांकरी ताकुला ओसला मोटर मार्ग का निर्माण।	27.00	1258.00	0.10
29.	दूधपोखरा-छेडापानी-रुइया-कफल्टा-खोकिरा मोटर मार्ग का निर्माण।	27.00	1032.60	0.10
30.	चम्पावत-गौडी-किमतोली मोटर मार्ग के अवशेष 04 किमी० भाग का निर्माण एवं इस मार्ग पर पडने वाले 30 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	04.00	213.90	0.10
31.	डुगरी, डुमलोट, सियाभेल, वली, डोभा, किनाथी, पटोटिया मोटर मार्ग का विस्तारीकरण।	10.00	367.50	0.10
	कुल योग		1623.97	3.10

(रु० तीन लाख दस हजार मात्र)

प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव।

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

पत्रांक 1559/20 पाला दि० 28/8/08

आता: श्री निम्नांकित के द्वारा एवं ज्ञानसु कडोला में
 ① मुख्य अभि० ०१/०८/०८ ला० वि० पो०/अभो० ३।
 ② सहा० अभि० प्रथम/तृतीय/द्वितीय/लातवा/अभो० ३।
 ③ अभो० ३।/पिप्लोशगा०/उत्तरकाशी/गोपेश्वर/पो०
 ④ बजट/ग्र० वार्ड

द्वारा उक्त सत्यापित

सहायक अभियन्ता द्वितीय
 आ० ख० लो० नि० वि०
 रानीखेत

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
 लोक निर्माण विभाग
 रानीखेत